समाचार–प्रकाषनार्थ :–

सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स का मरम्मत व सौदर्यीकरण कार्य समय सीमा में पूर्ण करें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान दिये निर्देश

रतलाम 16 सितम्बर । महू रोड स्थित सुभाष शाँपिग काम्पलेक्स का नवीन स्वरुप देने के लिए आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

आयुक्त श्री झारिया ने गुरुवार दोपहर मार्केट का निरीक्षण किया, इस दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी,कार्यपालन यंत्री व इंजीनियर आदि मौजूद रहे। आयुक्त ने मार्केट के कोने–कोने का निरीक्षण कर यहां की सफाई व ड्रेनेज व्यवस्था को देखा और समय सीमा में यहां व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश मौके पर ही दिए है। इसी तरह दुकानों की शटर की मरम्मत और जरुरत होने पर नए शटर लगाने के लिए भी संबधित इंजीनियर को कहां है।

इस मौके पर आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि मार्केट को 99 दुकानों को नगर निगम के ई–टेंडर के माध्यम से आगामी दिनों नीलाम करने जा रहा है। इस नीलामी को लेकर रतलाम शहर सहित अन्य नगरों के व्यापारी व खरीदारी भी रुचि दिखा रहे है। कुछ समय पूर्व निर्मित इस मार्केट की दुकानो व छत बेहतर बनाने के लिए निगम प्रशासन यहां मरम्मत कार्य भी शुरु करवा चुका है।

उन्होने बताया कि सुभाष मार्केट की दुकानों की नीलामी ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त होकर पारदर्शी आंवटन होगा। यहां अचल संपत्ति अन्तरण नियम 2016 के तहत आवंटन की कार्रवाही की जाएगी। यहां की द्,कानों के लिए 30 वर्ष की लीज या 10 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर फ्री होल्ड का प्रावधान भी रखा गया है। इसके साथ ही दुकानों पर किसी तरह का किराया नही रहेगा।

आयुक्त ने बताया कि शहर के सबसे बड़े इस मार्केट में पार्किग की पर्याप्त सुविधा है, इसके साथ ही समीप की एक बड़ी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाकर वहां भी पार्किग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चार पहिया सहित अन्य बड़े वाहनों को यहां खड़ा किया जा सके।

इस मौके पर दुकानों की खरीदारी के लिए आए व्यापारियों ने भी निगम आयुक्त श्री झारिया से मुलाकत की और ईननिविदा से ज़ड़ी जानकारी व नियम शर्ते की जानकारी ली। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि सुभाषचन्द्र शापिग काम्पलेक्स की प्रथम फ्लोर व लोवर फ्लोर पर स्थिति दुकानों के आंवटन मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधित नियम 4 मई 2021 के प्रावधान के अन्तगर्त किए जाने के लिए आफर ई निविदा द्वारा आमंत्रित है।

उन्होने कहा कि ई–निविदा नीलामी की नियम शर्ते जगह–जगह चस्पा की जा चुकी है जिसे पढकर खरीदार इस नीलामी में हिस्सा ले सकते है। उन्होने कहा कि सुभाष मार्केट को सर्वसुविधाजनक बनाए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे है, जिसके चलते यह मार्केट शहर के सबसे बड़े और सुसज्जिज मार्केट में शुमार होगा।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री ब्रजेश कुशवाह, श्री शैलेन्द्र गोठवाल आदि उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
16 सितम्बर को 99 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 16 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का

प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 16 सितम्बर गुरूवार को 99 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

16 सितम्बर गुरूवार को डम्पर व ट्रेक्टर से 55250 व काम्पेक्टर सूखा कचरा 43880 किलो इस तरह कुल 99130 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कर्तव्य स्थल पर यूनिफार्म में उपस्थित रहें यूनिफार्म में उपस्थित नहीं रहने पर एक कर्मचारी का वेतन काटा

रतलाम 16 सितम्बर । नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मोहित सोनी द्वारा 16 सितम्बर गुरूवार को अपने कर्तव्य स्थल पर यूनिफार्म में उपस्थित नहीं रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित का एक दिवस का वेतन काटा जाकर भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिये।

शासन निर्देशानुसार नगर निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है इस हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी श्रेणीवार निर्धारित यूनिफार्म में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 16 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगो।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर 13 सितम्बर सोमवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

1347 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 16 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आय.क्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आय.क्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 16 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1347 मवेशियों को

पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 16 सितम्बर को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 6 मवेशियों को निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 16 सितम्बर। कलक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भो कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

1261 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2696 हितग्राहियों द्वारा आवेदन पस्तुत किये गये है जिसमें से 1549 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1241 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा एसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 16 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 16.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.